


19.07 23 खावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर
मनन करने एवं खावली का अवलोकन करने पर
बादी का वादपत्र स्वीकार योग्य होने के कारण
स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखा जाकर संलग्न किया गया। खावली
बाद तरीब तकमील होकर दाखिल दफतर है।

निर्णय लिखा जाकर जूले मापलप में
सुनाया गया।


(अमिता मिश्रा)
R.A.S.